

**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या**  
**जनपद अम्बेडकर नगर दिनांक 20.01.2020 से 22.01.2020**

कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2019-20/18 /3883-2 (II) दिनांक 30.07.2019 के क्रम में जनपद अम्बेडकर नगर का दिनांक 20.01.2020 से 22.01.2020 को को तीन दिवसीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया।

**लेखा अभिलेख:-**

उल्लेखनीय है कि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अनुसार लेखा पुस्तकों, लेखांकन, लेखा अभिलेख का रख-रखाव इत्यादि का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया है तथा गाइड लाइन्स के अनुसार ही लेखा पुस्तकों को तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2019-20 के अभिलेखों के अवलोकन की आख्या निम्नवत है:-

**01. मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय :- जनपद अम्बेडकर नगर**

जनपद अम्बेडकर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रकाश में आये तथ्य, जिनका उल्लेख निम्नवत है :-

- ❖ जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि मै० एस० के ट्रैवल का चयन वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु 32,800.00 प्रति माह पर हुये टेण्डर पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत गाड़ियों के अनुबन्ध के लिये किया गया है जिसके भुगतान में निम्नलिखित कमियां पायी गयी है :-

1. सी०एच०सी०/पी०एच०सी० टाण्डा में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन संख्या UP45F3399, जिसका पंजीकरण दिनांक 31.12.2009 को हुआ है एवं उसका वाहन बीमा समाप्त हो चुका है, का टैक्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
2. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के अन्तर्गत वाहन संख्या UP45H6400 जिसका पंजीकरण दिनांक 11.01.2011 को हुआ है, का टैक्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
3. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत वाहन संख्या UP45F3458, जिसका पंजीकरण दिनांक 29.11.2013 को हुआ है एवं उसका वाहन बीमा समाप्त हो चुका है, का टैक्सी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

**जबकि नियमानुसार कोई भी वाहन वर्ष 2015 से पहले का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, एवं उसका वाहन बीमा होना चाहिये। संज्ञान में आया है कि वर्ष 2015 से पहले के वाहन का प्रयोग किया जा रहा है, एवं वाहनो का बीमा समाप्त हो चुका है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के प्रपत्रों की जांच में टेण्डर कमेटी द्वारा लापरवाही बरती गयी है। अतः उचित होगा कि आर०बी०एस०के०/ सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में प्रयोग किये जा रहे वाहनो की जांच की जाए।**

4. आर०बी०एस०के० एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये वाहनो कि लॉगबुक अपूर्ण बनायी जा रही है, विक्रेता द्वारा बिना जी०पी०एस० रिपोर्ट लगाये बिल प्रदान किया जा रहा है समस्त बिल जिला मुख्यालय प्रेषित किये जा रहे हैं। जिसका भुगतान भी जिला मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है जबकि भुगतान नियमानुसार लॉग बुक एवं जी०पी०एस० ट्रैकिंग रिपोर्ट के आधार किया जाना है।

5. उ0प्र0 शासन की ओर से दिनांक 01.08.2017 को प्रेषित दिशा निर्देशके अनुसार वाहन माह में एक हजार किलोमीटर से कम चलता है तो उसका भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जायेगा। परंतु जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि भुगतान एक समान आधार पर प्रस्तुत बिल 32,800.00 प्रति माह पर किया जा रहा है। जोकि वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। फर्म को लाभ देने के लिए वित्तीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। जिसकी विशेष जांच होना आवश्यक है।

- ❖ पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट से संज्ञान में आया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर रु0 10.00 लाख से अधिक के भुगतान किये गये हैं। जिला स्वास्थ्य समिति स्तर से जिनकी कय प्रणाली ज्ञात किया जाना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में जिला लेखा प्रबन्धक को दिनांक 22.01.20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की अन्तिम तिथि को सम्पन्न हुई बैठक में जनपद में हुए समस्त टेण्डर की स्कैन कॉपी एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जनपद द्वारा कोई भी प्रपत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिससे निम्न भुगतान में संदिग्धता प्रतीत होती है, जिसकी विस्तृत जांच कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

S.No	Name Of firm	DHS AMBEDKAR NAGAR UP
1	GUNJAN ENTERPRISES	16932704
2	SHREE BALAJI ENTERPRISES	8236242
3	SAGAR TRADERS	6002226
4	MS GOYAL STATIONERY MARTS	4914245
5	G.D PHARMACEUTICALS PROP NARENDRA BHADUR SINGH SO SOHRAT SINGH	5964440
6	AARNA TRADERS	5373355
7	DEV PHARMA	5297930
8	MS VAIBHAV TRAVELS	4627260
9	S MEDICAL AGENCY PROP SHANTI BHUSHAN TRIPATHI	4295090
10	SHRADDHA ENTERPRISES	4275260
11	S K TRAVELS	3140187
12	SILKON WELFARE SOCIETY	1808187
13	SADAAT ENTERPRISES	2482101
14	MS R P ASSOCIATES	2385648
15	BHARTIYA SEWA SANSTHAN	2291840
16	PANCHAYAT UDHYOG SAROJINI NAGAR	1467795
	<b>Grant Total</b>	<b>7,94,94,510</b>

## 02. जिला संयुक्त चिकित्सालय – जनपद अम्बेडकर नगर

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की पृथक कौशबुक नहीं तैयार की जा रही है, जो ऑपरेशनल गार्डलाईन फॉर फाईनेन्शियल मेनेजमेन्ट में दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना है।
2. नॉन कन्ज्यूमेबल्स रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे स्थायी सम्पत्तियों की वस्तु स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है।
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 का मैनुअल पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर (आर0के0एस0) दिनांक 13.12.2019 तक ही अद्यतन किया गया है।
4. वित्तीय वर्ष 2019–20 के किसी भी माह का बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है, जिसे बनाया जाना अतिआवश्यक है, जो ऑपरेशनल गार्डलाईन फॉर फाईनेन्शियल मेनेजमेन्ट में दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना है।
5. विगत पांच वर्षों आर0के0एस0 ऑडिट सम्पादित नहीं किया गया है, जिसे शीघ्र अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
6. वित्तीय वर्ष 2019–20 में टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) का उल्लंघन है। फर्मों पर नियमनुसार टी0डी0एस0 काट कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) के अनुसार ब्याज/पेनाल्टी देय होती है एवं त्रैमासिक टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल नहीं करने पर रु0 100000.00 तक की पेनाल्टी होती है, भविष्य में इस पेनाल्टी के लिए कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. वित्तीय वर्ष 2019–20 में जी0एस0टी0–टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि Notification No. 50/2018- Central Tax dated 13.09.2018 का उल्लंघन है। जी0एस0टी0–टी0डी0एस0 की कटौती हेतु दिनांक 01.10.2018 को **Notification No. 50/2018-Central Tax dated 13.09.2018** जारी किया गया है के अनुसार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य रु 2,50,000 से अधिक हो जाने पर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का 2% जी0एस0टी0–टी0डी0एस0 का भुगतान करना पड़ता है।

यदि कटौतिकर्ता नियत तारीख तक FORM GSTR-7 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है यानी महीने के 10 दिनों के भीतर उस महीने में जिसमें कटौती की गई थी, तब वह रु 100 का विलंब शुल्क प्रतिदिन अधिकतम रु 5000 सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम के तहत अदा करेगा।

## 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :-भीटी

जनपद अम्बेडकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीटी का भ्रमण करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख निम्नवत है :-

1. जननी सुरक्षा योजना के निम्न भुगतान PFMS चेक करने पर भुगतान दो बार पाये गये:-

S. No. (Distinct)	Beneficiary Name	Payment	Amount (In Actuals)	Beneficiary Type	Date of Payment/Credit	Beneficiary Account No	Agency Account No. (Debited Bank A/C No)
1	anupam	1	1,400.00	Mother	31/05/2019	55250100025639	30170544486
		2	1,400.00	Mother	21/09/2019	55250100025639	30170544486

2	sunita	1	1,400.00	Mother	06/07/2019	47470100006801	30170544486
		2	1,400.00	Mother	06/07/2019	47470100006801	30170544486
3	rukshana	1	1,400.00	Mother	21/10/2019	Same aadhaar	30170544486
		2	1,400.00	Mother	21/10/2019	Same aadhaar	30170544486
			8,400.00				

सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा भविष्य में डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। **रिकवरी की जाने वाली धनराशि का विवरण** वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रकरण में दोहरे भुगतान किये गए है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 8400/= रु 4200. की रिकवरी की जानी चाहिए।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 की केशबुक (आर0सी0एच0) दिनांक 11.01.2020 तक ही अद्यतन की गयी है।
3. वित्तीय वर्ष 2019-20 की केशबुक (आर0के0एस0) दिनांक 29.11.2019 तक ही अद्यतन की गयी है।
4. वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का मैनुअल पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिसे शीघ्र अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
5. वित्तीय वर्ष 2019-20 के किसी भी माह का बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है, जिसे बनाया जाना अतिआवश्यक है।
6. वित्तीय वर्ष 2019-20 की जनरेटर की लॉग बुक, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉकबुक निरीक्षण के लिये उपलब्ध नहीं करायी गयी।
7. विगत पांच वर्षों आर0के0एस0 ऑडिट सम्पादित नहीं किया गया है। है, जिसे शीघ्र अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
8. नॉन कन्ज्यूमेबल्स रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे स्थायी सम्पत्तियों की वस्तु स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है।
9. जे0एस0एस0के0 डाईट का भुगतान भी जिला मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।
10. वित्तीय वर्ष 2019-20 में टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) का उल्लंघन है। फर्मों पर नियमनुसार टी0डी0एस0 काट कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) के अनुसार ब्याज/पेनाल्टी देय होती है एवं त्रैमासिक टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल नहीं करने पर रु0 100000.00 तक की पेनाल्टी होती है, भविष्य में इस पेनाल्टी के लिए कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि Notification No. 50/2018- Central Tax dated 13.09.2018 का उल्लंघन है। जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती हेतु दिनांक 01.10.2018. को **Notification No. 50/2018-Central Tax dated 13.09.2018** जारी किया गया है के अनुसार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य रु 2,50,000 से अधिक हो जाने पर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का 2% जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 का भुगतान करना पड़ता है।

यदि कटौतिकर्ता नियत तारीख तक FORM GSTR-7 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है यानी महीने के 10 दिनों के भीतर उस महीने में जिसमें कटौती की गई थी, तब वह रु 100 का विलंब शुल्क प्रतिदिन अधिकतम रु 5000 सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम के तहत अदा करेगा।

#### 04. सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 :- टाण्डा

जनपद अम्बेडकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाण्डा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख निम्नवत है :-

1. जननी सुरक्षा योजना के निम्न भुगतान PFMS चेक करने पर भुगतान दो बार पाये गये:-

S. No.	Beneficiary Name	S.No (Payment)	Amount (In Actuals)	Date of Payment/Credit	Beneficiary Account No	Agency Account No. (Debited Bank A/C No)
1	KAVITA	1	1,400.00	10/06/2019	3317000100183263	30158349877
		2	1,400.00	26/08/2019	3317000100183263	30158349877
2	GEETA	1	1,400.00	06/05/2019	58070100004953	30158349877
		2	1,400.00	26/08/2019	58070100004953	30158349877
3	MANBHAWATI	1	1,400.00	28/06/2019	54730100028817	30158349877
		2	1,400.00	03/09/2019	54730100028817	30158349877
4	SARITA	1	1,400.00	26/08/2019	54780100029679	30158349877
		2	1,400.00	03/09/2019	54780100029679	30158349877
5	SHEELA	1	1,400.00	26/08/2019	35509686140	30158349877
		2	1,400.00	03/09/2019	35509686140	30158349877
			14,000.00			

सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा भविष्य में डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। रिकवरी की जाने वाली धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रकरण में दोहरे भुगतान किये गए हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 14000/2= रु 7500. की रिकवरी की जानी चाहिए।

- नॉन कन्ज्यूमेबल्स रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे स्थायी सम्पत्तियों की वस्तु स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक (आर0सी0एच0) दिनांक 24.10.2019 तक ही अद्यतन की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैशबुक (आर0के0एस0) दिनांक 29.11.2019 तक ही अद्यतन की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के किसी भी माह का बैंक समाधान विवरण ( आर0सी0एच0 एवं आर0के0एस0 ) तैयार नहीं किया गया है, जिसे बनाया जाना अतिआवश्यक है, जो ऑपरेशनल गाईडलाईन फॉर फाईनेन्शियल मेनेजमेन्ट में दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना है।
- विगत पांच वर्षों आर0के0एस0 ऑडिट सम्पादित नहीं किया गया है। है, जिसे शीघ्र अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) का उल्लंघन है। फर्मो पर नियमनुसार टी0डी0एस0 काट कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) के अनुसार ब्याज/पेनाल्टी देय होती है एवं त्रैमासिक टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल नहीं करने पर रु0 100000.00 तक की पेनाल्टी होती है, भविष्य में इस पेनाल्टी के लिए कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि Notification No. 50/2018- Central Tax dated 13.09.2018 का उल्लंघन है। जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती हेतु दिनांक 01.10.2018. को **Notification No. 50/2018-Central Tax dated 13.09.2018** जारी किया गया है के अनुसार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य रु 2,50,000 से अधिक हो जाने पर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का 2% जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 का भुगतान करना पड़ता है।

यदि कटौतिकर्ता नियत तारीख तक FORM GSTR-7 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है यानी महीने के 10 दिनों के भीतर उस महीने में जिसमें कटौती की गई थी, तब वह रु 100 का विलंब शुल्क प्रतिदिन अधिकतम रु 5000 सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम के तहत अदा करेगा।

9. आर0बी0एस0के0 एवं सुपविजन हेतु उपलब्ध कराये गये वाहनों की लॉगबुक नहीं बनायी जा रही है एवं भुगतान हेतु समस्त बिल जिला मुख्यालय प्रेषित किये जा रहे हैं।

10. जे0एस0एस0के0 डाईट का भुगतान भी जिला मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

### 05. सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 :- अकबरपुर

जनपद अम्बेडकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर में तथ्य प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख निम्नवत है :-

1. जननी सुरक्षा योजना के निम्न भुगतान PFMS चेक करने पर भुगतान दो बार पाये गये:-

S. No.	Beneficiary Name	(Payment)	Amount (In Actuals)	Date of Payment /Credit	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name	Agency Account No. (Debited Bank A/C No)
1	DEEPMALA	1	1,400.00	03/06/2019	37871426614	STATE BANK OF INDIA	30160300825
		2	1,400.00	03/06/2019	37871426614	STATE BANK OF INDIA	30160300825
2	POOJA	1	1,400.00	03/06/2019	14288100018419	BANK OF BARODA	30160300825
		2	1,400.00	03/06/2019	14288100018419	BANK OF BARODA	30160300825
3	POONAM	1	1,400.00	26/11/2019	60296783596	BANK OF MAHARASHTRA	30160300825
		2	1,400.00	02/01/2020	60296783596	BANK OF MAHARASHTRA	30160300825
			8,400.00				

सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा भविष्य में डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। **रिकवरी की जाने वाली धनराशि का विवरण** वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रकरण में दोहरे भुगतान किये गए हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 8400/2= रु 4200. की रिकवरी की जानी चाहिए।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैंशबुक (आर0सी0एच0) दिनांक 28.12.2019 तक ही अद्यतन की गयी है।

3. वित्तीय वर्ष 2019-20 की कैंशबुक (आर0के0एस0) दिनांक 30.11.2019 तक ही अद्यतन की गयी है।

4. वित्तीय वर्ष 2019-20 के किसी भी माह का बैंक समाधान विवरण ( आर0सी0एच0 एवं आर0के0एस0 ) तैयार नहीं किया गया है, जिसे बनाया जाना अतिआवश्यक है, जो ऑपरेशनल गाईडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मेनेजमेन्ट में दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना लें

5. नॉन कन्ज्यूमेबल्स रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे स्थायी सम्पत्तियों की वस्तु स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है।
6. विगत पांच वर्षों आर0के0एस0 ऑडिट सम्पादित नहीं किया गया है। है, जिसे शीघ्र अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
7. वित्तीय वर्ष 2019-20 में टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) का उल्लंघन है। फर्मों पर नियमनुसार टी0डी0एस0 काट कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) के अनुसार ब्याज/पेनाल्टी देय होती है एवं त्रैमासिक टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल नहीं करने पर रु0 100000.00 तक की पेनाल्टी होती है, भविष्य में इस पेनाल्टी के लिए कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि Notification No. 50/2018- Central Tax dated 13.09.2018 का उल्लंघन है। जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती हेतु दिनांक 01.10.2018. को **Notification No. 50/2018-Central Tax dated 13.09.2018** जारी किया गया है के अनुसार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य रु 2,50,000 से अधिक हो जाने पर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का 2% जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 का भुगतान करना पड़ता है।  
यदि कटौतिकर्ता नियत तारीख तक FORM GSTR-7 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है यानी महीने के 10 दिनों के भीतर उस महीने में जिसमें कटौती की गई थी, तब वह रु 100 का विलंब शुल्क प्रतिदिन अधिकतम रु 5000 सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम के तहत अदा करेगा।
9. जे0एस0एस0के0 डार्ट का भुगतान भी जिला मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

### **06.सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 :- जलालपुर**

जनपद **अम्बेडकर नगर** के **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर** में तथ्य प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख निम्नवत है :-

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 की कॅशबुक (आर0सी0एच0) प्रस्तुत नहीं की गयी है।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 की कॅशबुक (आर0के0एस0) दिनांक 28.11.2019 तक ही अद्यतन की गयी है।
3. वित्तीय वर्ष 2019-20 के किसी भी माह का बैंक समाधान विवरण (आर0सी0एच0 एवं आर0के0एस0 ) तैयार नहीं किया गया है, जिसे बनाया जाना अतिआवश्यक है, जो ऑपरेशनल गार्डलार्इन फॉर फाईनेन्शियल मेनेजमेन्ट में दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना है।
4. विगत पांच वर्षों आर0के0एस0 ऑडिट सम्पादित नहीं किया गया है। है, जिसे शीघ्र अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
5. नॉन कन्ज्यूमेबल्स रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे स्थायी सम्पत्तियों की वस्तु स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है।
6. वित्तीय वर्ष 2019-20 में टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) का उल्लंघन है। फर्मों पर नियमनुसार टी0डी0एस0 काट कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) के अनुसार ब्याज/पेनाल्टी देय होती है एवं

त्रैमासिक टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल नहीं करने पर रु0 100000.00 तक की पेनाल्टी होती है, भविष्य में इस पेनाल्टी के लिए कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि Notification No. 50/2018- Central Tax dated 13.09.2018 का उल्लंघन है। जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती हेतु दिनांक 01.10.2018 को **Notification No. 50/2018-Central Tax dated 13.09.2018** जारी किया गया है के अनुसार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य रु 2,50,000 से अधिक हो जाने पर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का 2% जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 का भुगतान करना पड़ता है।

यदि कटौतिकर्ता नियत तारीख तक FORM GSTR-7 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है यानी महीने के 10 दिनों के भीतर उस महीने में जिसमें कटौती की गई थी, तब वह रु 100 का विलंब शुल्क प्रतिदिन अधिकतम रु 5000 सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम के तहत अदा करेगा।

8. जे0एस0एस0के0 डाईट का भुगतान भी जिला मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

### **07. सी0एच0सी0/पी0एच0सी0:- रामनगर**

जनपद अम्बेडकर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राम नगर में निम्न तथ्य प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख निम्नवत है :-

1. जननी सुरक्षा योजना के निम्न भुगतान PFMS चेक करने पर भुगतान दो बार पाये गये:-

S. No.	Beneficiary Name	S.No (Payment)	Amount (In Actuals)	Date of Payment	Beneficiary Account No	Agency Account No. (Debited Bank A/C No)
1	SONAM	1	1,400.00	01/06/2019	55120100013422	30160619648
		2	1,400.00	11/06/2019	55120100013422	30160619648
2	PUSHPA	1	1,400.00	01/06/2019	22638100021297	30160619648
		2	1,400.00	28/12/2019	22638100021297	30160619648
3	MAUSAMI	1	1,400.00	05/07/2019	10988100034729	30160619648
		2	1,400.00	22/08/2019	10988100034729	30160619648
4	SUNITA	1	1,400.00	05/07/2019	693302010007779	30160619648
		2	1,400.00	22/08/2019	693302010007779	30160619648
5	TABASSUM	1	1,400.00	05/07/2019	117012010016752	30160619648
		2	1,400.00	22/08/2019	117012010016752	30160619648
6	PRIYANKA KUMARI	1	1,400.00	22/08/2019	737302010007834	30160619648
		2	1,400.00	21/09/2019	737302010007834	30160619648
7	SHARDA DEVI	1	1,400.00	23/10/2019	47450100007545	30160619648
		2	1,400.00	16/11/2019	47450100007545	30160619648
			19,600.00			

सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा भविष्य में डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। **रिकवरी की जाने वाली धनराशि का विवरण** वित्तीय वर्ष

- 2019-20 में प्रकरण में दोहरे भुगतान किये गए हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 19600/2= रु 9800. की रिकवरी की जानी चाहिए।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के किसी भी माह का बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है, जिसे बनाया जाना अति आवश्यक है, जो ऑपरेशनल गार्डलार्इन फॉर फाईनेन्शियल मेनेजमेन्ट में दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना है।
  3. विगत पांच वर्षों आर0के0एस0 ऑडिट सम्पादित नहीं किया गया है। है, जिसे शीघ्र अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
  4. वित्तीय वर्ष 2019-20 में टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) का उल्लंघन है। फर्मो पर नियमनुसार टी0डी0एस0 काट कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) के अनुसार ब्याज/पेनाल्टी देय होती है एवं त्रैमासिक टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल नहीं करने पर रु0 100000.00 तक की पेनाल्टी होती है, भविष्य में इस पेनाल्टी के लिए कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
  5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि Notification No. 50/2018- Central Tax dated 13.09.2018 का उल्लंघन है। जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती हेतु दिनांक 01.10.2018. को **Notification No. 50/2018-Central Tax dated 13.09.2018** जारी किया गया है के अनुसार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य रु 2,50,000 से अधिक हो जाने पर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का 2% जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 का भुगतान करना पड़ता है।  
यदि कटौतिकर्ता नियत तारीख तक FORM GSTR-7 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है यानी महीने के 10 दिनों के भीतर उस महीने में जिसमें कटौती की गई थी, तब वह रु 100 का विलंब शुल्क प्रतिदिन अधिकतम रु 5000 सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम के तहत अदा करेगा।
  6. वित्तीय वर्ष 2019-20 में श्री दिनेश कुमार को टी0ए0 के सापेक्ष धनराशि रु0 12600.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
  7. श्री मनीश कुमार गौर, को आशा मौडयूल ट्रेनिंग हेतु धनराशि रु0 5300.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त भुगतान के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

### **08.सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 :- बसखारी,**

जनपद **अम्बेडकर नगर** के **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राम नगर** में निम्न तथ्य प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख निम्नवत है :-

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 की केशबुक (आर0सी0एच0) दिनांक 17.09.2019 तक ही अद्यतन की गयी है।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 की केशबुक (आर0के0एस0) दिनांक 26.12.2019 तक ही अद्यतन की गयी है।
3. वित्तीय वर्ष 2019-20 के किसी भी माह का बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है, जिसे बनाया जाना अतिआवश्यक है, जो ऑपरेशनल गार्डलार्इन फॉर फाईनेन्शियल मेनेजमेन्ट में दिये गये वित्तीय दिशा निर्देशों की अवहेलना है।
4. विगत पांच वर्षों आर0के0एस0 ऑडिट सम्पादित नहीं किया गया है। है, जिसे शीघ्र अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) का उल्लंघन है। फर्मो पर नियमनुसार टी0डी0एस0 काट कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उस पर आयकर

अधिनियम 1961 की धारा 271H (read with section 234 E) के अनुसार ब्याज/पेनाल्टी देय होती है एवं त्रैमासिक टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल नहीं करने पर रु0 100000.00 तक की पेनाल्टी होती है, भविष्य में इस पेनाल्टी के लिए कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, जोकि Notification No. 50/2018- Central Tax dated 13.09.2018 का उल्लंघन है। जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 की कटौती हेतु दिनांक 01.10.2018. को **Notification No. 50/2018-Central Tax dated 13.09.2018** जारी किया गया है के अनुसार कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में अनुबंध के तहत आपूर्ति का कुल मूल्य रु 2,50,000 से अधिक हो जाने पर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का 2% जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 का भुगतान करना पड़ता है।

यदि कटौतिकर्ता नियत तारीख तक FORM GSTR-7 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है यानी महीने के 10 दिनों के भीतर उस महीने में जिसमें कटौती की गई थी, तब वह रु 100 का विलंब शुल्क प्रतिदिन अधिकतम रु 5000 सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम के तहत अदा करेगा।

- आर0बी0एस0के0 एवं सुपविजन हेतु उपलब्ध कराये गये वाहनों की लॉगबुक नहीं बनायी जा रही है एवं भुगतान हेतु समस्त बिल जिला मुख्यालय प्रेषित किये जा रहे हैं।
- जे0एस0एस0के0 डाईट का भुगतान भी जिला मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।
- नॉन कन्ज्यूमेबल्स रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे स्थायी सम्पत्तियों की वस्तु स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता है।

### 09.सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0:- जहांगीरगंज

जनपद **अम्बेडकर नगर** के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहांगीरगंज मे PFMS चेक करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये, जिनका उल्लेख निम्नवत है :-

- जननी सुरक्षा योजना के निम्न भुगतान PFMS चेक करने पर भुगतान दो बार पाये गये:-

S. No.	Beneficiary Name	(Payment)	Amount (In Actuals)	Date of Payment	Beneficiary Account No	Agency Account No.
1	CHANDRAKALA	1	1,400.00	31/05/2019	424802010008703	30160614243
		2	1,400.00	31/05/2019	424802010008703	30160614243
2	KANCHAN	1	1,400.00	30/05/2019	13318100001594	30160614243
		2	1,400.00	30/05/2019	13318100001594	30160614243
3	KANCHAN	1	1,400.00	15/07/2019	08068100000153	30160614243
		2	1,400.00	29/08/2019	08068100000153	30160614243
4	SUMAN	1	1,400.00	30/05/2019	2113000100217286	30160614243
		2	1,400.00	28/06/2019	2113000100217286	30160614243
5	SANGEETA	1	1,400.00	04/06/2019	22998100001104	30160614243
		2	1,400.00	10/12/2019	22998100001104	30160614243
6	NEERKALA	1	1,400.00	03/10/2019	55140100026389	30160614243
		2	1,400.00	26/11/2019	55140100026389	30160614243
7	MAYA	1	1,400.00	30/05/2019	55140100025795	30160614243
		2	1,400.00	13/09/2019	55140100005795	30160614243
8	ANITA DEVI	1	1,400.00	30/05/2019	2113000100180821	30160614243

		2	1,400.00	30/05/2019	2113000100180821	30160614243
9	SUMAN	1	1,400.00	30/05/2019	58090100004402	30160614243
		2	1,400.00	30/05/2019	58090100004402	30160614243
10	SADHANA	1	1,400.00	30/05/2019	2113001700036950	30160614243
		2	1,400.00	28/06/2019	2113001700036950	30160614243
11	SAIMA	1	1,400.00	30/05/2019	2113001700040980	30160614243
		2	1,400.00	30/05/2019	2113001700040980	30160614243
12	BABITA	1	1,400.00	31/05/2019	693302010011271	30160614243
		2	1,400.00	31/05/2019	693302010011271	30160614243
13	MANITA	1	1,400.00	31/05/2019	360302010519916	30160614243
		2	1,400.00	31/05/2019	360302010519916	30160614243
14	MITU	1	1,400.00	30/05/2019	58090100005596	30160614243
		2	1,400.00	30/05/2019	58090100005596	30160614243
15	PRIYANKA	1	1,400.00	30/05/2019	08060100022801	30160614243
		2	1,400.00	28/06/2019	08060100022801	30160614243
16	SHASHIKALA	1	1,400.00	31/05/2019	360302010517608	30160614243
		2	1,400.00	01/08/2019	360302010517608	30160614243
17	RENU	1	1,400.00	30/05/2019	13310100023992	30160614243
		2	1,400.00	30/05/2019	13310100023992	30160614243
18	SUBHAGI	1	1,400.00	30/05/2019	08060100010058	30160614243
		2	1,400.00	30/05/2019	08060100010058	30160614243
19	SONI	1	1,400.00	30/05/2019	22990100019655	30160614243
		2	1,400.00	30/05/2019	22990100019655	30160614243
20	ANJUMAARA	1	1,400.00	31/05/2019	08060100024716	30160614243
		2	1,400.00	29/06/2019	08060100024716	30160614243
21	POONAM	1	1,400.00	30/05/2019	2478001701135012	30160614243
		2	1,400.00	30/05/2019	2478001701135012	30160614243
22	SONI	1	1,400.00	31/05/2019	693302120000259	30160614243
		2	1,400.00	30/07/2019	693302120000259	30160614243
23	PRIYANKA	1	1,400.00	28/06/2019	58090100004775	30160614243
		2	1,400.00	29/08/2019	58090100004775	30160614243
24	BABITA	1	1,400.00	16/09/2019	33719323896	30160614243
		2	1,400.00	03/10/2019	33719323896	30160614243
25	MAYA KUMARI	1	1,400.00	19/11/2019	701502010002526	30160614243
		2	1,400.00	26/11/2019	701502010002526	30160614243
			70,000.00			

सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है तथा भविष्य में डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। रिकवरी की जाने वाली धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

में प्रकरण में दोहरे भुगतान किये गए है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 70,000/2= रु 35000. की रिकवरी की जानी चाहिए।

(शान्तनु गुप्ता)  
आफिसर आडिट  
एस0पी0एम0यू0-एन0एच0एम0